न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:–46/2018
जी.सी.एम.एस नं.–2018/00030

1. मौला पत्नी मनफूल जाति जाट आयू 75 वर्ष निवासी धान्धडा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. बनवारी पुत्र मनफूल जाति जाट आयू 75 वर्ष निवासी धान्धडा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––वादीगण

बनाम्

1. साजनराम पुत्र आशाराम जाति जाट आयू 75 वर्ष निवासी 11/12 एन डी नाहरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सुगना देवी पत्नी पृवी राज पुत्री मनफूल जाति जाट आयू 48 वर्ष निवासी 15 ए एस कूपली (ढ़ाणी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. चन्द्रकला पत्नी जयराम पुत्री मनफूल जाति जाट आयू 45 वर्ष निवासी कूपली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––प्रतिवादीगण

:

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित–

1. श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट प्रतिवादी सं.–1 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::– **दिनांकः–**07/10/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है यह कि वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय से यह अनुतोष चाहा हैं कि विवादित कृषि भूमि वाके चक 10 एन डी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–12 पत्थर नं.–62/8 व मुरब्बा नं.–13 पतर नं.–62/26 का कुल 6.788 हैक्टर में से 1.360 हैक्टर ता मुरब्बा नं.–17 पतर नं–62/19 में 6.072 हैक्टर में से 0.608 हैक्टर यानि कुल 1.973 हैक्टर में 6/8 हिस्सा की दस्तबदारी दिनांक 06.10.2010 के उपरात उक्त 1.973 हैक्टरा कृषि भूमि के सबधं में दस्तावेज दस्तबदारी के प्रकाश में प्रतिवादी सं.–1 के नाम से दर्ज इन्तकाल को निरस्त किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं.–2 व 3 को विवादित कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

वाद पत्र में प्रतिवादी सं.–1 ने **प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी** पेश कर निवेदन किया कि वादी को 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सुक्षमता से विवेचन किया जावे तो वास्तव में [illegible] में मृतक आसाराम के शेष वारिसान गौरादेवी बेवा आसाराम, रेवन्ती, जडाव[illegible]देवी, विदयादेवी, कमलादेवी पुत्रीयां आसाराम द्वारा निष्पादित एवं [illegible] 06.01. 2010 को वादीगण के हितो पर प्रभावशुन्य एवं प्रभावहीन घोषणा करवाने [illegible] है तथा अनुशांगिक अनुतोष के रूप में वादीगण द्वारा विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण द्वारा अपने उक्त वाद पत्र के द्वा[illegible]ख्य अनुतोष पंजीकृत दस्तावेज दस्तबदारी को अपने अधिकारो पर शून्य एवं विधि विरुद्ध घोषणा का चाहा तथा अनुसांगिक अनुतोष के रूप में अपने हिस्सा की घोषणा का अनुतोष चाहा है चूकिं माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के विद्यमान रहते ऐ वादीगण के हिस्सा की घोषणा नहीं की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सकती यह सर्व मान्य विधि है कि पंजीकृत दस्तावेज के शून्य एवं विधि विरूद्ध होने की घोषणा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है वादीगण का वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का ना होकर माननीय सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार का है अतएव वादीगण का यह वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित (वाद बॉर्ड बाई एनी लॉ) एवं विधि विरूद्ध होने के कारण प्रथम दृष्टया इसी अवस्था पर काबिल खारिजी के है।
अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव वादीगण की और से जबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनाक 06.10.2010 के दस्तावेज निष्पादन एवं पंजीयन के उपरात वादीगण व प्रतिवादी सं.–2 व 3 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं.–1 का भी 1/2 हिस्सा बनता है इसी सम्बधं में वादीगण ने अपने अधिकारो की घोषणा चाही है तथा वादीगण के द्वारा चाहा गया ऐसा अनुतोष श्रीमान न्यायालय प्रवत करने में सक्षम है वादीगण का वाद पन्त्र किसी भी दृष्टि से विधि विरूद्ध नहीं है प्रकरण अचल सम्पति के सम्बधं में है वादीगण के पास साक्ष्य एवं सबूत है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं.–1 द्वारा उठाये गये आक्षेपो का निस्तारण दोनो पक्षकारों की साक्ष्य के उपरांत ही तय हो सकता है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं.–1 का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। प्रतिवादी सं. –1 द्वारा महज प्रकरण को देरिना करने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रकरण अचल सम्पति के सम्बधं में है वादीगण के पास साक्ष्य एवं सबूत है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं.–1 द्वारा उठाये गये आक्षेपो का निस्तारण दोनो पक्षकारो की साक्ष्य के उपरांत ही तय हो सकता है वादीगण का वाद किसी भी दृष्टि कोण से विधि द्वारा बाधित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल निरस्ती के है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हरजा खर्चा के साथ निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद राज.काश्त.अधि.की धारा 53, 88, 188 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादीगण को दिलाए जाने के आधार पर पेश किया गया है। वादीगण द्वारा अपने उक्त वाद पत्र के द्वारा मुख्य अनुतोष पंजीकृत दस्तावेज दस्तबदारी को अपने अधिकारो पर शून्य एवं विधि विरूद्ध घोषणा का चाहा तथा अनुसांगिक अनुतोष के रूप में अपने हिस्सा की घोषणा का अनुतोष चाहा है चूकिं माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के विद्यमान रहते हुए वादीगण के हिस्सा की घोषणा नहीं की जा सकती यह सर्व मान्य विधि है कानूनन दस्तबरदारी को सिविल न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है। राजस्व न्यायालय को दस्तबरदारी को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। पंजीकृत दस्तावेज के शून्य एवं विधि विरूद्ध होने की घोषणा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है वादीगण का वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का ना होकर माननीय सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार का है। अतः प्रतिवादी सं.–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी सं.–1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़